

**उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ****आदेश से प्रथम अपील संख्या.- 539/2018**

संदीप सिंह यादव उर्फ संदीप यादव एवं अन्य

..... अपीलार्थी(गण)

बनाम

श्री अजीत शुक्ला एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

:- बालेंदु शेखर

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:- दिनेश कुमार, दिनेश कुमार

सुरक्षित किया गया 18.02.2026**सुनाया गया 18.02.2026****न्यायालय संख्या. - 27****माननीय न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा**

1. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री बालेंदु शेखर के प्रतिनिधित्व के रूप में उपस्थित अधिवक्ता श्री राजकुमार विश्वकर्मा, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या-3 के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार के तर्कों को सुना गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को सूचना पहले ही तामील की जा चुकी है, किंतु उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

3. यह अपील मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संक्षेप में, न्यायाधिकरण/अपर जिला जज, विशेष न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, लखनऊ) द्वारा मोटर दुर्घटना दावा याचिका संख्या 1/2015, संदीप सिंह यादव उर्फ संदीप यादव एवं अन्य बनाम श्री अजीत शुक्ला एवं अन्य में पारित निर्णय के विरुद्ध, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृद्धि हेतु प्रस्तुत की गई है। विद्वान न्यायाधिकरण ने दावेदारों को मृत्यु दावे के रूप में 10,72,800/- रुपये का प्रतिकर 7% वार्षिक साधारण ब्याज के साथ प्रदान किया है।

4. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 25.11.2014 को पूर्वाह्न लगभग 11:00 बजे, मृतका, जो प्रतिवादी संख्या-2 की पत्नी और अपीलार्थी संख्या 2 व 3 की माता थी, अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर अपने निवास से मोरामा स्थित अपने रिश्तेदार के घर जा रही थी, उसी समय ट्रक पंजीकरण संख्या UP32EN0919 के चालक ने ट्रक को तेजी और लापरवाही से चलाते हुए उस मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिस पर वह पीछे बैठी थी। इसके परिणामस्वरूप उक्त पूनम यादव उर्फ लता यादव गंभीर रूप से घायल हो गईं और इस घटना में आई घातक चोटों के कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट उनके पति संदीप यादव अपीलार्थी संख्या-1, जो घटना के समय मोटरसाइकिल चला रहे थे, द्वारा दिनांक 25.11.2014 को ही दर्ज कराई गई थी। उक्त घटना के संबंध में दिनांक 25.11.2014 को दोपहर 1:30 बजे थाना मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ में उक्त ट्रक के ज्ञात चालक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 338 और 304क के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण पूर्वघात चोटों के कारण उत्पन्न सदमा एवं रक्तस्राव दर्शाया गया है। विवेचना अधिकारी द्वारा तैयार किए गए घटना-स्थल के नक्शे में यह दिखाया गया है कि अभियुक्त ट्रक चालक ने पीड़िता की मोटरसाइकिल को थाना मोहनलालगंज की सीमा के अंतर्गत खतोला मोड़ के पास पीछे से टक्कर मारी थी। विवेचना अधिकारी ने ट्रक चालक, जिसका नाम शिबू पाल है, के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत आरोप-पत्र भी प्रस्तुत किया।

6. विद्वान न्यायाधिकरण ने पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दावा याचिका में विचारण हेतु कुल पाँच मुद्दे निर्धारित किए।

7. विद्वान न्यायाधिकरण ने वाद की सुनवाई के दौरान पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का सम्यक् मूल्यांकन करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 25.11.2014 को प्रातः 11:00 बजे मृतका श्रीमती पूनम यादव, मोटरसाइकिल संख्या UP 32 EX 6829 से अपने निवास स्थान से पुरवा, उन्नाव जा रही थीं। उनकी मोटरसाइकिल को मोहनलालगंज सड़क पर ग्राम खतोला मोड़ के निकट एक तेज गति से आ रहे ट्रक संख्या UP 32 EN 0919 ने टक्कर मार दी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना ट्रक चालक द्वारा वाहन को तेज, असावधानीपूर्वक एवं लापरवाही से चलाने के कारण हुई। उक्त आपत्तिजनक ट्रक घटना के समय विधिवत रूप से भारतीय स्टेट बैंक सामान्य बीमा कंपनी लिमिटेड के साथ बीमित था तथा उसका चालक, विपक्षी संख्या 2 शिबू पाल, घटना की तिथि एवं समय पर वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति धारित किए हुए था।

8. न्यायाधिकरण ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि आवेदक विपक्षी पक्ष से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसका भुगतान विरोधी पक्षकार संख्या-3, भारतीय स्टेट बैंक सामान्य

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। विद्वान न्यायाधिकरण ने मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर माना कि घटना के समय उसकी आयु 26 वर्ष थी। उसके परिवार में उसका पति, एक पुत्र और एक पुत्री जीवित सदस्य थे। वह एक गृहिणी थी और कहीं भी कार्यरत नहीं थी। एक गृहिणी का अपने परिवार के प्रति योगदान अमूल्य है और सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने वाली गृहिणी, जिसके विधिक प्रतिनिधि मृत्यु दावे की मांग कर रहे हैं, उसकी काल्पनिक आय निर्धारित करते समय कोई भी लिंग-भेद नहीं अपनाया जाना चाहिए। विद्वान न्यायाधिकरण ने यह अवलोकित किया कि उसके पति अपीलार्थी संख्या-1 के वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर उसकी मासिक आय 27,583/- रुपये दर्शाई गई है, जिसे पूर्णांकित कर 27,000/- रुपये प्रति माह किया जा सकता है। दावेदारों द्वारा इस पक्ष के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका कि पीड़िता चित्रकारी और हस्तशिल्प में कुशल थी और इन कार्यों से पर्याप्त कमाई कर रही थी।

9. स्वयं दावा याचिका में ही उन्हें गृहिणी के रूप में दर्शाया गया है। ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका कि वह स्वतंत्र अर्जन में संलग्न थीं, किंतु यह प्रत्यक्ष है कि वह अपने परिवार और बच्चों की देखभाल करती थीं और एक गृहिणी द्वारा प्रदान की गई इन सेवाओं का अनुमान मुद्रा के रूप में नहीं लगाया जा सकता। ऐसी स्थिति में, मृतका की सांकेतिक आय का अनुमान उसके पति की आय के 1/3 के रूप में लगाना उचित नहीं होगा, बल्कि उसकी काल्पनिक आय 6,000/- रुपये प्रति माह निर्धारित करना उचित, विधिपूर्ण और तर्कसंगत होगा। न्यायाधिकरण द्वारा इस काल्पनिक आय में से 1/3 हिस्सा जीवन और व्यक्तिगत व्यय के मद में कटौती के रूप में घटाया गया और 4,000/- रुपये को दावेदारों की आश्रितता की हानि माना गया। इस प्रकार, आश्रितता की हानि की गणना 48,000/- रुपये के रूप में की गई क्योंकि पीड़िता की आयु 26 वर्ष थी, 1/3 की कटौती के बाद उनकी मासिक आय का 30%

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

भविष्य की संभावनाओं के रूप में जोड़ा जाएगा और इस प्रकार भविष्य की संभावनाओं सहित मृतका की वार्षिक आय 62,400/- रुपये आकलित की गई, जिसे आश्रितता की हानि माना जाएगा। घटना के समय पीड़िता की आयु को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण द्वारा 17 का गुणांक लागू किया गया और तदनुसार, क्षतिपूर्ति की गणना 10,60,800/- रुपये की गई। इसके अतिरिक्त, अंत्येष्टि व्यय के रूप में 2,000/- रुपये और मृतका के बच्चों में से प्रत्येक को अपनी माता की मृत्यु के कारण प्रेम और स्नेह की हानि के मद में 5,000/- रुपये जोड़े गए और तदनुसार, क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि 10,72,800/- रुपये निर्धारित की गई, जिस पर दावा याचिका दायर करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 7% वार्षिक ब्याज का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि क्षतिपूर्ति की उक्त राशि में से, मृतका के पति, याचिकाकर्ता संख्या-1 संदीप यादव को 2,72,800/- रुपये मिलेंगे और याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 को 4-4 लाख रुपये मिलेंगे। मृतका के नाबालिग बच्चों, याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 को देय प्रतिकर की राशि उनके वयस्क होने तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना में रखी जाएगी और याचिकाकर्ता संख्या-1 को देय 2,72,800/- रुपये की राशि में से 1 लाख रुपये 3 वर्ष के लिए सावधि जमा योजना में रखे जाएंगे तथा शेष 1,72,800/- रुपये का भुगतान उन्हें खाता आदाता चेक के माध्यम से किया जाएगा।

10. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को प्रदान की गई क्षतिपूर्ति की धनराशि सांविधिक अधिदेश तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप नहीं है। **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य, (2017) 16 SCC 680** में माननीय उच्चतम न्यायालय के उत्तरवर्ती निर्णयों के आलोक में, विद्वान न्यायाधिकरण ने मृतका की मासिक आय का अनुमान गलत तरीके से

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6,000/- रुपये लगाया है, जबकि यह 9,000/- रुपये प्रति माह होनी चाहिए थी, क्योंकि अपीलार्थी संख्या-1 का मासिक वेतन उसके वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर 27,000/- रुपये पाया गया है। विद्वान न्यायाधिकरण ने मृतका की आय में भविष्य की संभावनाओं के मद में केवल 30% जोड़कर भी त्रुटि की है, जबकि हाल के न्यायिक घोषणाओं के दृष्टिगत यह उसकी काल्पनिक आय का 40% होना चाहिए। विद्वान न्यायाधिकरण ने दावा याचिका में मांगी गयी क्षतिपूर्ति की तुलना में कम धनराशि प्रदान की है। ब्याज की दर भी 7% के स्थान पर 15% होनी चाहिए।

11. उन्होंने अंत में यह तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान अपील में किए गए दावों के आलोक में क्षतिपूर्ति की मात्रा को पुनः निर्धारित किया जाना चाहिए।

12. इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या-3 के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में कोई तथ्यात्मक या विधिक त्रुटि नहीं है। विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा, आक्षेपित पंचाट पारित करने के समय प्रचलित विधि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्षतिपूर्ति की मात्रा का निर्धारण सही ढंग से किया गया है और वर्तमान अपील में किसी भी प्रकार की वृद्धि की आवश्यकता नहीं है।

13. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय के **अरुण कुमार अग्रवाल एवं अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एवं अन्य, 2010 (3) T.A.C. 769 (S.C.)** के निर्णय पर विश्वास जताया, जिसमें 39 वर्ष की एक गृहिणी की मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और उसके पति तथा नाबालिग पुत्रों द्वारा दावा याचिका दायर की गई थी। उक्त मामले में मृतका पारिवारिक मामलों में गहराई से जुड़ी हुई थी और उसकी मृत्यु से पूरा परिवार बिखर गया था। न्यायाधिकरण ने मृतका की आय का आकलन 5,000/- रुपये प्रति माह किया था (यह घटना वर्ष 2010 से पूर्व की थी)। न्यायाधिकरण ने मृतका की आय 5,000/- रुपये

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रति माह आकलित की और व्यक्तिगत व्यय के मद में 1/3 की कटौती की, 15 का गुणांक लागू किया और आश्रितता की कुल हानि 6,00,000/- रुपये आकलित की, किंतु यह टिप्पणी करते हुए कि मृतका कोई आय अर्जित करने वाली सदस्य नहीं थी, केवल 2,50,000/- रुपये का प्रतिकर प्रदान किया। उच्च न्यायालय में अपील करने पर, न्यायालय ने मृतका द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए अर्जन का आकलन 1,250/- रुपये प्रति माह किया, 15 का गुणांक लागू किया और 2,50,000/- रुपये के पंचाट की पुष्टि की।

14. माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूर्वोक्त निर्णय में यह निर्धारित किया कि न्यायाधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति को कम करने के लिए दिए गए कारण पूरी तरह से असमर्थनीय थे, और उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण प्रत्यक्ष रूप से त्रुटिपूर्ण एवं अनुचित था। दावेदारों को क्षतिपूर्ति के रूप में 6 लाख रुपये का हकदार माना गया। माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि "एक गृहिणी की आय का मूल्य उसके अर्जन करने वाले पति/पत्नी की आय का एक-तिहाई आंकना, जैसा कि मोटर वाहन अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के खंड 6 के अंतर्गत प्रावधानित है, किसी स्पष्ट तर्कसंगत आधार पर आधारित नहीं है-घर में महिलाओं द्वारा परिवार के अन्य सदस्यों के लिए प्रदान की गई सेवाएँ उत्पादन का एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान रूप हैं-संसद को परामर्श दिया गया कि वह गृहिणियों और घरेलू कार्यों के मूल्य का उचित आकलन करने के लिए पुनर्विचार करे और मोटर वाहन अधिनियम तथा अन्य संबंधित विधियों के प्रावधानों में उपयुक्त संशोधन करे ताकि पीड़ित महिला होने की स्थिति में उचित प्रतिकर दिया जा सके-वैवाहिक विधियों में भी संशोधन का सुझाव दिया गया।

15. न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से यह स्थापित विधि है कि मृत्यु के मामले में क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु दावेदारों द्वारा तीन तथ्यों को सिद्ध किया जाना आवश्यक है:-

(क) मृतक की आय;

(ख) मृतक की आय; तथा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(ग) आश्रितों की संख्या।

आश्रितता की हानि तक पहुँचने के लिए न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने वाले विषय निम्नवत हैं:-

- (i) आय के निर्धारण हेतु की जाने वाली वृद्धियाँ/कटौतियाँ;
- (ii) मृतक के व्यक्तिगत जीवन निर्वाह व्यय के मद में की जाने वाली कटौतियाँ; तथा
- (iii) मृतक की आयु के संदर्भ में लागू किया जाने वाला गुणांक।

16. इस घटना में, याचिकाकर्ताओं ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का दावा किया है। याचिकाकर्ताओं की शिकायत विद्वान दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित पंचाट में उन्हें प्रदान किए गए प्रतिकर के संबंध में है। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों से यह तथ्य सिद्ध है कि मृतका, जो एक गृहिणी थी, का पति घटना के समय 27,000/- रुपये प्रति माह कमा रहा था। इस प्रकार, मोटर वाहन अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के खंड 6 के अनुसार, मृतका की आय उसके जीवित पति की आय की 1/3 होनी चाहिए। यह मानदंड मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163-क के अंतर्गत दायर दावा मामलों के संबंध में निर्धारित किया गया है। हालांकि, न्यायालयों द्वारा इसे मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत दायर दावों में भी लागू किया जाता है।

17. वर्तमान मामले में, विद्वान न्यायाधिकरण ने मृतका की काल्पनिक आय 6,000/- रुपये प्रति माह निर्धारित की है, जो स्पष्ट रूप से कम प्रतीत होती है, और इसलिए, मेरी सुविचारित राय में, घटना के समय मृतका की आय 9,000/- रुपये प्रति माह निर्धारित करना न्यायोचित, निष्पक्ष और उचित होगा, जो कि उसके जीवित पति की शुद्ध मासिक आय का लगभग 1/3 है। उपरोक्त के आलोक में, क्षतिपूर्ति को निम्नवत तरीके से पुनर्गठित किया जा रहा है:

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मृतका की काल्पनिक आय 9,000/- रुपये प्रति माह होनी चाहिए, यदि मृतका जीवित होती, तो उसके व्यक्तिगत और जीवन निर्वाह व्यय के मद में 1/3 की कटौती वांछनीय है। इस प्रकार, मासिक आश्रितता की हानि की गणना 6,000/- रुपये और वार्षिक 72,000/- रुपये की जा सकती है। इस वार्षिक राशि में भविष्य की संभावनाओं के मद में + 30% जोड़ा जाएगा और इस प्रकार भविष्य की संभावनाओं सहित वार्षिक आश्रितता की हानि 96,000/- रुपये होती है।

18. न्यायाधिकरण ने 18 का गुणांक लागू किया था; किंतु सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य, 2009 (6) SCC 121 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, इस मामले में 18 के स्थान पर 17 का गुणांक लागू होगा। तदनुसार, उक्त 96,000/- रुपये की राशि पर 17 का गुणांक लागू होगा और कुल प्रतिकर क्षतिपूर्ति 16,32,000/- रुपये आकलित कि जाती है।

19. क्षतिपूर्ति की उपरोक्त राशि में, पारंपरिक मदों जैसे अंत्येष्टि व्यय, संपदा की हानि और वैवाहिक साहचर्य की हानि के रूप में 70,000/- रुपये जोड़े जाएंगे। इस प्रकार, कुल क्षतिपूर्ति की गणना $16,32,000 + 70,000 = 17,02,000/-$ रुपये के रूप में की जाती है। क्षतिपूर्ति की इस कुल राशि यानी 17,02,000/- रुपये पर, आवेदन दाखिल करने की तिथि से क्षतिपूर्ति के वास्तविक भुगतान की तिथि तक 7% वार्षिक ब्याज देय होगा।

20. यह भी निर्देशित किया जाता है कि 17,02,000/- रुपये की कुल क्षतिपूर्ति में से, मृतका के पति, अपीलार्थी संख्या-1 को ब्याज सहित 7,02,000/- रुपये प्राप्त होंगे। इसमें से 3,02,000/- रुपये उन्हें खाता आदाता चेक के माध्यम से दिए जाएंगे। शेष 4,00,000/- रुपये न्यायाधिकरण द्वारा उनके नाम पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में तीन वर्ष के लिए सावधि जमा योजना में जमा किए जाएंगे। अपीलार्थी संख्या 2 और 3, जो मृतका के नाबालिग बच्चे

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हैं, शेष क्षतिपूर्ति राशि में से ब्याज सहित 5-5 लाख रुपये प्राप्त करेंगे, उक्त राशि उनके वयस्क होने तक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा योजना में जमा की जाएगी। आक्षेपित निर्णय और पंचाट को उपरोक्त रीति से संशोधित किया जाता है।

21. तदनुसार, यह अपील स्वीकृत की जाती है।

(न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा)

मार्च 18, 2026

केआर/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।